"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग. सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2002—ज्येष्ठ 3, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/49/2002/वाक/पांच (61).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि हेतु कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	ट्रैक्टर पार्ट्स	धारा 10-क के अधीन संपूर्ण अधिभार.
2.	ट्रैक्टर पार्ट्स को छोड़कर अन्य मोटर पार्ट्स	धारा 10-क के अधीन संपूर्ण अधिभार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

क्रमांक एफ 10/49/2002/वाक/पांच(61).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/49/2002/वाक/पांच (61), दिनांक 24 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 24th May 2002

NOTIFICATION

No. F 10/49/2002/CT/V (61).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from the payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) of the Schedule from the date of publication in the Gazette to 31st March, 2003 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Tractor parts	Whole of surcharge under section 10-A
2.	Motor parts other than tractor parts	Whole of surcharge under section 10-A

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/49/2002/वाक/पांच (62).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि हेतु कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	ट्रैक्टर पार्ट्स	संपूर्ण प्रवेश कर
2.	ट्रैक्टर पार्ट्स को छोड़कर अन्य मोटर पार्ट्स	संपूर्ण प्रवेश कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

क्रमांक एफ 10/49/2002/वाक/पांच.(62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/49/2002/वाक/पांच (62), दिनांक 24 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव

Raipur, the 24th May 2002

NOTIFICATION

No. F 10/49/2002/CT/V (62).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from the payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) of the Schedule from the date of publication in the Gazette to 31st March, 2003.

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Tractor parts	Whole of Entry tax
2.	Motor parts other than tractor parts	Whole of Entry tax

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/50/2002/वाक/पांच (63).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से 31 मार्च 2003 तक की अवधि हेतु, अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कुक्कुट आहार	संपूर्ण प्रवेशकर	जबकि कुक्कुट फार्मर के द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

क्रमांक एफ 10/50/2002/वाक/पांच (63).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ 10/50/2002/वाक/पांच (63), दिनांक 24 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 24th May 2002

NOTIFICATION

No. F 10/50/2002/CT/V (63).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) of the Schedule from the date of publication in the Official Gazette to 31st March, 2003, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Poultry feed	Whole of Entry Tax	When used by poultry farmer as raw Material.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.